

Workshop for tea industry on food safety held

Tea Board- CII FACE Awareness Programme on FSSR 2011- The New Mandate for the Tea Industry of North Bengal

Siliguri and Binnaguri: Tea Board of India in association with CII- FACE conducted two workshops on Food Safety & Standards Regulations, 2011 on 19th July and 20th July at Terai Planters' club, Siliguri and Central Dooars Club, Binnaguri respectively. The programme was organized by regional branches of Indian Tea Association.

The programme was customized for the Tea Industry of North Bengal in lieu of the latest Food Safety and Standards Act (FSSA), 2011 with an objective to create awareness among the stake holders about the regulations in order to maintain quality & food safety standards in tea. It is to mention here that Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India under the Food Safety and Standards Act (FSSA), 2011, has set up Regulatory Guidelines for

all organizations managing food and beverage operations to implement Good Hygiene Practices and Good Manufacturing Practices. According to the act, all Food Establishments and Manufacturing Units have to procure either Licence or get them registered with FSSAI as per their annual turnover.

Officials from Tea Board, Food Safety Standards Authority of India (FSSAI) and CII took part in the programme. From Tea Board, Dr. B. Bera and Dr. A Basu Majumder, discussed on the regulatory issues of MRL, iron filing, artificial coloring of tea, Nature Identical flavor and packaging of tea for ensuring quality and safety of tea produced in the country.

Ms Pratyasha Chakraborty, Counsellor, CII discussed on the Food Safety Hazards in

Tea along with the various issues associated with FSSA 2011 related to tea. The Road map for implementing Food Safety Management System in tea was also briefed by her.

Mr. S. N. Mitra from FSSAI discussed on the licensing requirements and filing of application forms as per FSSAI guidelines for licensing/registration requirements for the tea industry. He also briefed on the provisions and penalties as per the act. A live demonstration on filing up of application forms for licensing was also arranged.

Around 200 participants from various tea associations engaged in manufacturing, trading and other tea related business participated in these programmes.

चाय उद्योग के लिए टी बोर्ड की संगोष्ठी

सिलीगुड़ी, प्रतिनिधि : चाय उद्योग को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन-2011 की आगामी चुनौतियों से निपटने को तैयार रखने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सीआइआइ फेस के साथ मिलकर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बताया गया कि अधिनियम के अनुसार सभी खाद्य कंपनियों, मैनुफैक्चरिंग यूनिट को लाइसेंस लेना होगा या फिर एफएसएसएआई के साथ अपनी इकाई को 4 अगस्त से पहले पंजीकृत कराना होगा। टीबीआईटीए के सचिव बीपी चलिहा ने कहा कि हमें इस अधिनियम के बारे में जागरूक होना होगा। टी बोर्ड के डॉ. बी बेरा व डॉ. ए बसु मजूमदार एवं सीआइआइ की प्रत्याशा चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए 75 सदस्यों को विभिन्न मसलों पर जागरूक किया।



FSSR 2011 Workshop at Central Dooars Club, Binnaguri on 20th July, 12



Participants at the Workshop at Central Dooars Club, Binnaguri

चाय उद्योग के लिए खाद्य सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

सिलीगुड़ी (निज संवाददाता)। स्टैंडर्ड्स को मेन्टेन करने के लिए तराई प्लान्टर्स क्लब, सिलीगुड़ी में आज फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, 2011- न्यू मैनडेट पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आने वाली कानूनी चुनौतियों के लिए चाय उद्योग को तैयार करने के लिए सीआईआई-एफएसीई के सहयोग से टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नार्थ बंगाल टी इन्डस्ट्री के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ताजा फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एफएसएसए), 2011 के बदले टी इन्डस्ट्री को कस्टोमाइज करने के लिए आयोजित किया गया। एक्ट के अनुसार सभी फुड इस्टेबलिशमेंट्स एंड मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स 4 अगस्त के अनुसार लाइसेंस को प्रोक्वोर करना होगा या एफएसएसएआई के साथ पंजीकृत करना होगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टी बिजनेस में शामिल टी एसोसिएशनों से करीब 75 सदस्यों ने भाग लिया।

स्टैंडर्ड्स को मेन्टेन करने के लिए रेगुलेशन के बारे में टी इन्डस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के बीच सचेतना पैदा करना था। कार्यक्रम का आयोजन तराई ब्रांच ऑफ इंडियन टी एसोसिएशन (टीबीआईटीए) द्वारा आयोजित किया गया। सेक्रेटरी, टीबीआईटीए श्री बी.पी.चालिन्हा ने इसमें भाग लेने वालों का स्वागत किया और कहा कि टी इन्डस्ट्री को एफएसएसएआई रेगुलेशन से सचेत रहना चाहिए, ताकि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एवं फुड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्लीयरली अन्डरस्टूड किया जा सके।

टी बोर्ड से डॉ.बी.बेरा, ए.बसु मजूमदार और सीआईआई से सुश्री प्रत्याशा चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और चाय से संबंधित इस एक्ट के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम में मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और अन्य टी एसोसिएशनों से करीब 75 सदस्यों ने भाग लिया।